नेशनल लोक अदालत दिनांक : 09/12/2017

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी इशाक सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधि.। फरियादी/आवेदक शहीद खाँ एवं अमीना बानों सहित श्री जगदीश राणा अधिवक्ता।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक शहीद खॉ पुत्र गफूर खॉ एवं अमीना बानों पत्नी शहीद खॉ, निवासीगण :— ग्राम टुडीला, जिला—भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री जगदीश राणा के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक शहीद खॉ एवं अमीना बानों ने उनके अधिवक्ता श्री जगदीश राणा के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 294 ''02 काउण्ट'', 323 एवं 506 भाग।। ''02 काउण्ट'' भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत शहीद एवं अमीना अभियोजित अपराध की धारा 294 ''02 काउण्ट'', 323 एवं 506 भाग।। ''02 काउण्ट'' भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उनकी पहचान श्री जगदीश राणा अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा खेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है।

अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294 "02 काउण्ट", 323 एवं 506 भाग।। "02 काउण्ट" भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294 "02 काउण्ट", 323 एवं 506 भाग।। "02 काउण्ट" के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी इशाक से जब्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से नष्टकर व्ययनित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

- 01. राजीव कुमार कांकर अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)
- 02. दिनेश गुर्जर अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड